

## 2016 की विधान परिषद चुनाव पर संक्षिप्त जानकारी

### मतदान की तारीख और घंटे

- 4 सितंबर 2016 (रविवार)
- सुबह 7:30 से रात 10:30 बजे तक

### नामांकन अवधि

- 16 – 29 जुलाई 2016

### नामांकन फार्म

- जिला कार्यालय तथा 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai पर पंजीकरण और चुनावी कार्यालय (“REO”) में नामांकन फार्म उपलब्ध हैं। फार्म को REO के वेबसाइट ([www.reo.gov.hk](http://www.reo.gov.hk)) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

### मतदान

- प्रत्येक पंजीकृत मतदाता एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र (“GC”) के लिए एक वोट और एक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र (“FC”) के लिए 1 वोट डाल सकते हैं।
- हर मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि (“AR”) को एक नामित मतदान केन्द्र के लिए आवंटित किया जाएगा।
- नामित मतदान केन्द्र को दर्शाने वाला एक जनमत सर्वेक्षण कार्ड (पोल कार्ड) को मतदान के 10 दिन पहले संबंधित मतदाताओं या AR को जारी किया जाएगा।

- मतादाता या AR को आवंटित मतदान केन्द्र, पहियेदार कुर्सी (व्हीलचेयर) के उपयोगकर्ताओं या चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है या नहीं जनमत सर्वेक्षण कार्ड (पोल कार्ड) से जुड़े नक्शे में निर्दिष्ट किया जाएगा। चलने-फिरने में कठिनाई वाले मतादाताओं या AR, यह जानने के बाद कि नामित मतदान केंद्र उनके लिए सुलभ नहीं होगा, वे REO में पहियेदार कुर्सी (व्हीलचेयर) के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाए गए नामित विशेष मतदान केन्द्र पर मतदान करने के लिए फैक्स (2891 1180) या ईमेल (reoenq@reo.gov.hk) या टेलीफोन (2891 1001) द्वारा 30 अगस्त 2016 से पहले आवेदन कर सकते हैं।
- यदि मतादाता या AR को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरूरत है तो, वे अल्पसंख्यक जातियों के लिए केन्द्र ("CHEER") पर निम्नलिखित हाटलाइन पर काल कर सकते हैं जो 22 अगस्त 2016 से लागू होगी।

भाषा	हाटलाइन नंबर
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
तागालोग	
थाई	
हिन्दी	3755 6822
नेपाली	
पंजाबी	3755 6833
उर्दू	

## मतदान कैसे करें?

- मतदान केन्द्र पर अपना हांगकांग पहिचान कार्ड लाएँ और मतदान कर्मचारियों को दिखाएँ।
- आपको अपने पात्रता अनुसार मतपत्र (ओं) दिया जाएगा, और “✓”(टिक) लगा हुआ एक चॉप के साथ एक पेपर बोर्ड दिया जाएगा। GC और जिला परिषद (दूसरा) FC के मतपत्र को मतदान कर्मचारियों द्वारा पहले से मोड़ दिया गया होता है। 4 विशेष FC (अर्थात हियुंग यी कूक FC, कृषि और मछली पालन FC, बीमा FC और परिवहन FC) के निर्वाचक या AR को एक काला पेन भी दिया जाएगा।
- एक मतदान कक्ष के अंदर अपने मतपत्र (ओं) पर निशान बनाएं।
- सभी निर्वाचकों या AR (चार विशेष FC के निर्वाचकों या AR को छोड़कर) को उम्मीदवार (ओं) की सूची या अपने पसंदिदा उम्मीदवार के नाम के सामने घेरे पर “✓” (टिक) लगाने के लिए पेपर बोर्ड से लगा हुआ चॉप का इस्तेमाल करना होगा।
- चार विशेष FC के निर्वाचकों या AR, कृपया आपको दिया गया काला कलम से अपने पहली पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने घेरे पर अरबी नंबर “1” लिखें और अपनी दूसरी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने घेरे पर अरबी नंबर “2” लिखें, इत्यादि। आप केवल एक उम्मीदवार को पहली पसंद लिख सकते हैं।
- अगर मतपत्र में निशान लगाते समय आप कई गलती करते हैं या अनजाने में मतपत्र को खराब करते हैं, तो आप मतपत्र को प्रिंसाइडिंग अधिकारी को वापस करें और उसकी जगह एक दूसरा मतपत्र देने के लिए कहें।

- मतपत्र पर निशान लगाने के बाद:

- (a) नीले मतपत्र बॉक्स में मतपत्र डालने से पहले GC निर्वाचक को “✓”(टिक) निशान छुपाने के लिए मतदान कर्मचारियों द्वारा पहले से मोड़ा हुआ तरीका से एक बार मोड़ना चाहिए ताकि यह भीतर की ओर हो;
- (b) जिला परिषद (दूसरा) FC निर्वाचक को भी इसी तरह से मतपत्र को एक बार मोड़ना चाहिए और फिर यह सफेद मतपत्र बॉक्स में डालना चाहिए; और
- (c) अन्य FC के निर्वाचक और AR को मतपत्र मोड़ना नहीं चाहिए। उसे उल्टा बना के लाल मतपत्र बॉक्स में डालना चाहिए।

### स्वच्छ चुनाव

भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग द्वारा लागू चुनाव (भ्रष्ट और अवैध बर्ताव) अध्यादेश (क्याप. 554) अनुसार, एक निर्वाचक को यह नहीं करना चाहिए:

- किसी भी व्यक्ति से चुनाव में मतदान नहीं करने के लिए, या एक विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों के लिए मतदान करने या नहीं करने के लिए किसी भी फायदा (पैसा, उपहार, आदि सहित), खाना, पीना या मनोरंजन को मांगना या स्वीकारना;
- किसी के मतदान निर्णय को प्रभावित करने के लिए जोर या दबाव का प्रयोग करना या प्रयोग करने के लिए धमकाना;
- उसके/ उसकी अपात्रता के बारे में जानते हुए भी मतदान पर वोट डालना; या जानबूझकर या बिना विचारे झूठी या भ्रामक जानकारी (झूठी आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देना।